कोटा में तीन अक्टूबर को होगा राष्ट्रीय दशहरा मेला का भव्य शुभारंभ

संभागीय आयुक्त ने लिया तैयारियों का जायजा

कोटा, (निसं)। 131वें राष्ट्रीय दशहरा मेला का भव्य शुभारंभ 3 अक्टूबर से कोटा के दशहरा मैदान में होगा। दशहरा मेले की तैयारियों को लेकर संभागीय आयुक्त राजेन्द्र विजय ने सीएडी परिसर में बैठक ली। इससे पहले संभागीय आयुक्त ने दशहरा मैदान का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। संभागीय आयुक्त ने कहा कि कोटा के राष्ट्रीय दशहरा मेला की एक अलग पहचान है। इसकी ख्याति दूर-दूर तक फैली हुई है। मेले का आयोजन भव्य रूप से हो, देश-विदेश से सैलानी इस मेले को देखने आएं और कोटा संभाग की पर्यटन मानचित्र पर एक अलग पहचान बने इस दिशा में प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि पर्यटन एवं होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों को साथ लेकर राष्ट्रीय दशहरा मेला के दौरान कोटा संभाग में पर्यटन की संभावनाओं को भी शोकेस किया जाऐं। उन्होंने कहा कि कोटा शहर में देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले कोचिंग छात्रों को दशहरा मेला की विजिट कराएं ताकि वे अपने शहर और राज्य में दशहरा मेला सहित कोटा की विशेषताओं का प्रचार-प्रसार करते हुए कोटा के पर्यटन के ब्रांड एम्बेसेडर बनें। उन्होंने कहा कि मेले में लगने वाली पर्यटन विभाग की स्टॉल पर कोटा संभाग के पर्यटन स्थलों, यहां के अभ्यारण्यों एवं अन्य

कोटा में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय दशहरा मेले की तैयारी का संभागीय आयुक्त ने निरीक्षण किया है ।

विशेषताओं को डिस्प्ले किया जाए। उन्होंने शहर के प्रतिष्ठित लोगों, उद्यमियों आदि को मेले में आमंत्रित कर आयोजन में उनसे सहयोग लेने का सुझाव दिया। संभागीय आयुक्त ने कहा कि मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखी जाए। सीसीटीवी कैमरा एवं पुलिस जाप्ता पर्याप्त मात्रा में लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मेले के दौरान लगने वाली फूड स्टॉल पर खाना गुणवत्तापूर्ण हो एवं गंदगी न हो इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए। उन्होंने पार्किंग व्यवस्था, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन के दौरान आने वाले मेहमानों के लिए बैठक व्यवस्था, अग्निशमन वाहनों की व्यवस्था आदि के बारे में जानकारी ली। बैठक में मेला आयोजन समिति के अध्यक्ष विवेक राजवंशी ने बताया कि 3 अक्टूबर को राष्ट्रीय दशहरे मेले का शुभारंभ दशहरा मैदान में होगा जिसके मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला होंगे। पहले दिन प्रातः 9 बजे दुर्गा पूजन होगा, शाम को श्रीराम रंगमंच पर रामलीला शुरू होगी। इसके बाद सायं 7:30 बजे विजय श्री रंगमंच पर नृत्य नाटिका दुर्गा का आयोजन होगा।

संभागीय आयुक्त ने किया मेला स्थल का निरीक्षण-संभागीय आयुक्त राजेन्द्र विजय ने शुक्रवार को दशहरा

- **संभागीय आयुक्त ने कहा कि कोटा के राष्ट्रीय दशहरा मेला की एक अलग पहचान है। इसकी ख्याति दूर-दूर तक फैली हुई है। मेले का आयोजन भव्य रूप से हो, देश-विदेश से सैलानी इस मेले को देखने आए**

मैदान जाकर 131वें राष्ट्रीय दशहरा मेले की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रखने के निर्देश दिए। साथ ही, मेले में आने वाले गणमान्य अतिथियों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो इस बात का ध्यान रखने को कहा। उन्होंने बैठक व्यवस्था, पार्किंग, स्टॉल आदि के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। दौरे के दौरान नगर निगम उत्तर आयुक्त अशोक त्यागी, नगर निगम दक्षिण आयुक्त अनुराग भार्गव, एडीएम सिटी अनिल सिंघल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर दिलीप सैनी, मेला अधिकारी जवाहर लाल जैन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

होटल मैनेजमेंट विभाग की विभिन्न लैब्स शुरू

कोटा, (निसं)। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय के होटल मैनेजमेंट विभाग की विभिन्न लैब्स का शुभारम्भ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता चेयरपर्सन आर.डी.मीना ने की, मुख्य अतिथि अशोक माहेश्वरी (अध्यक्ष, कोटा संभाग होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान), विशिष्ट अतिथि संदीप पहाड़िया (महासचिव, होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान), अति विशिष्ट अतिथि इन्द्रजीत सिंह (चेयरमैन, अमर पंजाबी ग्रुप कोटा) एवं कार्यक्रम के मुख्य वक्ता बॉम सदस्य प्रो. (डॉ.) गोपाल सिंह थे। अशोक माहेश्वरी ने अपने उद्बोधन में कहा कि ट्यूरिज्म को बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम हमें हमारे हॉस्पिटिलिटी सेक्टर में कार्य करना होगा, जिसमें विद्यार्थियों को होटल एवं ट्यूरिज्म की अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त करनी होगी। क्योंकि हाड़ौती में पर्यटन की अपार सम्भावनाएं है। इसलिए पर्यटन के विकास के लिए हम सब को मिलकर प्रयत्न करना चाहिए।

स्कूटी मिलेगी

कोटा, (निसं)। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत कोटा सहित प्रदेशभर के 2 हजार दिव्यांगजनों को स्कूटी प्रदान की जाएगी। संयुक्त निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सविता कृष्णिया ने बताया कि योजना का उद्देश्य महाविद्यालयों में नियमित रूप से अध्ययनरत् दिव्यांग विद्यार्थियों और कार्यरत दिव्यांग युवाओं को प्रोत्साहित करना है।

राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की तैयारी

कोटा, (निसं)। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के अंतर्गत आधिकाधिक निवेशकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जिला कलक्टर डॉ रविंद्र गोस्वामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के औद्योगिक संगठनों, प्रमुख उद्योगपतियों, व्यापारिक संघों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जिला कलक्टर ने संभागियों का आव्हान किया कि कोटा में औद्योगिक निवेश की विपुल संभावनाएं हैं इसके लिए उद्यमी आगे आएं और उत्साहजनक निवेश प्रस्ताव प्रस्तुत कर राइजिंग राजस्थान इवेंट को सफल बनाएं। जिला कलक्टर ने बताया कि उद्योगों को प्रोत्साहन और अनुकूल वातावरण देने के लिए जिला प्रशासन एवं केडीए प्रतिबद्ध हैं। उद्यमी अपने अनुकूल स्थान का चिन्हीकरण कर अवगत करा दें तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस हेतु जिला प्रशासन द्वारा लैंड बैंक भी तैयार किया गया है। उन्होंने संभागियों से उनके सुझाव जाने और आश्वासन दिया।

कार्यालय नगर निगम कोटा उत्तर (राज.)

क्रमांक:-ननिको/को.उ./राजस्व/2024/200-201 दिनांक:-25.9.2024

सार्वजनिक आपत्ति सूचना

सर्व साधारण को जर्ये आम सूचना सूचित किया जाता है कि श्री राखी श्रीवास्तव पत्नी श्री अनिल निवासी जे.के. फेक्ट्री के सामने बॉम्बे योजना कोटा द्वारा नगर निगम कोटा उत्तर की लघु यंत्रालय उपविधि 2010 के अनुसार श्री राखी श्रीवास्तव पत्नी श्री अनिल निवासी जे.के. फेक्ट्री के सामने बॉम्बे योजना कोटा में आटा-चक्की लगाने की अनुमति चाही गई है।

इस संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस आम सूचना के प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस की अवधि में राजीव गांधी भवन नगर निगम कोटा उत्तर के ब्लॉक सी के द्वितीय तल के कमरा नं. 307 में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा उपरोक्त उपविधि के अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी। सूचित हो।

उपायुक्त नगर निगम कोटा (उत्तर)

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-1383 **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना** दिनांक:-26.9.24

नगर विकास न्यास कोटा की केशवपुरा टीचर्स कॉलोनी व्यवसायिक योजना के भूखंड/आवास संख्या 26 का आवंटन/नीलामी न्यास के पत्र दिनांक 06.03.1992 को श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री राम को किया गया था। आवंटी श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री राम द्वारा उक्त भूखंड का जर्ये मुख्तारआम श्री मोहनलाल गुप्ता पुत्र श्री प्रभूलाल द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.09.2012 को श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र श्रीनिवास गुप्ता को विक्रय कर दिया गया है। क्रेता द्वारा उक्त भूखंड/आवास का अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 26 योजना केशवपुरा टीचर्स कॉलोनी व्यवसायिक का नाम हस्तान्तरण श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र श्रीनिवास गुप्ता के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

पेड़ काटने से पर्यावरणप्रेमी नाराज

खनन से मकानों में आ रही दरारे

कोटा, (निसं)। हाड़ौती पर्यावरण संरक्षण समिति के संभागीय अध्यक्ष श्याम मनोहर हरित के नेतृत्व में कोटा के पर्यावरण प्रेमियों ने संभागीय आयुक्त को ज्ञापन देकर मांग की है कि राज्य सरकार एक तरफ तो करोड़ो रूपए खर्च करके वृक्षारोपण करवा रही है, वही दूसरी और दशहरा मेले के झूला बाजार को बड़ा आकार देने के चक्कर में मेला समिति और अधिकारियों ने वहां पर वृक्षों की छंटाई के नाम पर कटाई करवा दी और कुछ पेड़ जड़ से उखाड़ दिये इससे हम पर्यावरण प्रेमी आहत हैं। उन्होंने कहा कि इसे तुरन्त रूकवाने के आदेश जारी करें तथा जिन अधिकारियों ने पेड़ो की कटाई करवाई है, उसके खिलाफ कार्यवाही के आदेश जारी करते हुए उन काटे गए वृक्षों के स्थान पर नए वृक्ष लगावाने के लिए उन्हे पाबन्द किया जाए और बचे हुए वृक्षों को सुरक्षित करते हुए झूला जोन का विस्तार करवाये।

कोटा, (निसं)। कुंभकोट और लक्ष्मीपुरा गांवों में अवैध खनन के कारण मकानों में दरारें आ रही हैं। दूसरी और, प्रशासन की अनदेखी के चलते खनन से निकले मलबे का चारागाह भूमि पर पहाड़ खड़ा कर दिया गया है। मामले को लेकर स्थानीय निवासियों ने प्रशासन को कई बार अवगत कराया लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। मामले को लेकर राजेन्द्र सिंह, गोपी सिंह, ईश्वर सिंह, महेंद्र सिंह, गीता बाई, देवकरण बाई ने जिला कलेक्टर के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। कुंभकोट निवासियों ने बताया कि एएसआईके (लि) कुदायला, रामगंजमंडी द्वारा ग्राम पंचायत कुम्भकोट के खसरा नम्बर 255/264 स्थित पठार पर खनन किया जा रहा है। जिसमें होने वाली ब्लास्टिंग से गांवों में मकानों में दरारें आ गई हैं। इस कारण से मकानों के गिरने का खतरा भी उत्पन्न हो गया है। साथ ही माइनिंग से राजस्थान सरकार

- **10 दिन में समस्या के समाधान का दिया अल्टीमेट**

को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी लीज का कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाने को तैयार नहीं है। जबकि प्रशासनिक अधिकारी भी संतोषप्रद जवाब नहीं दे रहे हैं। इसी तरह लक्ष्मीपुरा गांव में आबादी के नजदीक गैर मु.पठार की भूमि पर डीप होल ब्लास्टिंग करके वहाँ रह रहे लोगो के मकानों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। मकानों में दरारें आने से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जिस कारण डर के माहौल में लोग अपने घर को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। जिसकी कई बार सुकेत थाने में सूचना दी है। कम्पनी द्वारा दबंग लोगों से मजदूरों को घर खाली कराने के लिए बोला जाता है। जिसका मुआवजा मात्र उनको 50,000 रुपए दिया जा रहा हैं। उन्ही दबंग लोगों से कम्पनी के मिले हुए कर्मचारी 5-10 लाख रूपए में खरीदते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि खनन स्थल के पास ही स्कूल, मंदिर, सड़क आबादी मौजूद हैं। जिन्हें भी दरकिनार किया जा रहा। इससे कोई बड़ा हादसा होने की संभावना है। कम्पनी द्वारा खनन व ब्लास्टिंग के कारण काफी धूल उड़ती है। इस कारण आसपास की भूमि भी अनुपजाऊ हो रही है। पर्यावरण को काफी नुकसान पहुँचाया जा रहा है। कम्पनी द्वारा ग्रामीणों के खेत के पास में ब्लास्टिंग में उपयोग होने वाली सामग्री का स्टॉक एक खेत मे किया हुआ है। जो बड़ी दुर्घटना को न्यौता दे रहा है।ग्रामीणों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जाँच कर दोषी कम्पनी अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। समस्या का निवारण 10 दिन में नहीं होता है तो मजबूर होकर ग्रामीणों को कलेक्टर कार्यालय कोटा के समक्ष धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ेगा।

कपिल गुप्ता ने डोनेट की एसडीपी

कोटा, (निसं)। कोटा में डेंगू और मौसमी बीमारियों के चलते मरीज को निरंतर एसडीपी की आवश्यकता महसूस की जा रही है और कोटा ही नहीं आसपास के क्षेत्र से भी मरीज कोटा पहुंच रहे हैं और उन्हें भी एसडीपी उपलब्ध कराई जा रही है। टीम जीवन दाता के संरक्षक व संयोजक भुवनेश गुप्ता ने बताया कि निजी अस्पताल में 7 दिन से भर्ती मरीज स्टेशन निवासी मुकुल आचार्य को एसडीपी की आवश्यकता थी लेकिन लगातार एसडीपी होने से डोनर्स की संख्या कम होती जा रही है, ऐसे में नए और पुराने लोगों से संपर्क किया जा रहा है, अपने काम के सिलसिले में कोटा से बाहर जा रहे कपिल गुप्ता को कॉल किया तो वह बूंदी क्रॉस कर चुके थे, लेकिन जब मरीज की गंभीर हालत को बताया तो वह बूंदी से वापस कोटा अपना ब्लड सेंटर तलवंडी पहुंचे और उन्होंने 25वीं बार एसडीपी डोनेट की है। उनके साथ अजय शर्मा ऑर अंकित पोरवाल ने भी अपना सैंपल दिया। कपिल इससे पूर्व 30 बार ब्लड डोनेशन कर चुके हैं। भुवनेश गुप्ता ने बताया कि एक समय था जब कपिल गुप्ता सुई के फोबिया से ग्रस्त थे।

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम मोहम्मद अकिल था जिसे बदलकर मैंने मोहम्मद आकिल राईन रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे, पता: म.न.-611 अंजुमन इस्लामिया के पीछे, चन्द्र घटा, कोटा

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम प्रतिका था जिसे बदलकर मैंने प्रतिका गुप्ता रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे, पता: गली नं.-2, भीमगंजमंडी थाने के पीछे, रंगपुर, कोटा जं. कोटा

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य राधेश्याम चतुर्वेदी पुत्र श्री मदन मोहन चतुर्वेदी निवासी - तबेला रोड़, मोती कुंआ स्कूल के पास, झालावाड़ (राज.) का है। मेरे अभिभाष्य के पुत्र महेश चतुर्वेदी की मृत्यु वर्ष 2009 में हो चुकी है। मेरे अभिभाष्य के पुत्र की मृत्यु के पश्चात मेरे अभिभाष्य के पुत्र महेश चतुर्वेदी की पत्नि श्रीमती सुमन चतुर्वेदी व उसकी दो पुत्रियां वैशाली चतुर्वेदी व गुंजन चतुर्वेदी एवं मेरे अभिभाष्य के अन्य परिजनों के मध्य पारिवारिक बंटवारा हो गया है, जिसमें मेरे अभिभाष्य की पुत्रवधु सुमन चतुर्वेदी व पोतियां वैशाली चतुर्वेदी व गुंजन चतुर्वेदी ने उनके हिस्से में पारिवारिक बंटवारे में आने वाली चल अचल सम्पत्ति का सम्पूर्ण हक हिस्सा प्राप्त कर लिया है, अब भविष्य में मेरे अभिभाष्य की पुत्रवधु व पोतियों का मेरे अभिभाष्य एवं मेरे अभिभाष्य के अन्य परिजनों / वारिसानों की चल अचल सम्पत्ति में किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं रहा है। अब भविष्य में मेरे अभिभाष्य का व उसके पारिवारिक सदस्यों का श्रीमती सुमन चतुर्वेदी व उसकी पुत्रियां वैशाली चतुर्वेदी व गुंजन चतुर्वेदी से कोई सम्बन्ध व रिश्ता नहीं रहा है। अब यदि उक्त तीनों किसी से कोई विवाद करते है या सरकारी व अर्द्ध सरकारी विभागों में ऋण आदि प्राप्त करते है तो इससे मेरे अभिभाष्य एवं उसके परिवारजनों का कोई लेना देना नहीं होगा और भविष्य में कोई भी व्यक्ति, संस्था आदि उक्त तीनों से कोई संव्यवहार करते है तो इसके वे स्वयं जिम्मेदार होंगे, सूचित रहे। **प्रशांत चतुर्वेदी एडवोकेट, 9828023808**

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ-15/कृ.भू.रू./2024/2449 **विज्ञप्ति** दिनांक:-27.9.2024

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम कुन्हाड़ी में स्थित कृषि भूमि योजना चंचल विहार भूखंड संख्या 110 खसरा नं. 509/291 आवेदक/आवेदिका श्री विजय अग्रवाल पुत्र स्व. श्री महेन्द्र कुमार अग्रवाल निवासी वर्कशॉप डिपो के सामने कुन्हाड़ी कोटा राज. द्वारा ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु न्यास कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखंड का पट्टा क्रमांक 1040 दिनांक 24.09.2013 को श्री सुरेन्द्र कुमार सेठी पुत्र श्री नेमीचन्द सेठी के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधारी की मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार दिनांक 01.03.2024 को हो चुकी है। मृतक श्री सुरेन्द्र कुमार सेठी द्वारा नोटेरी शुद्धा वसीयतनामा दिनांक 21.02.2021 को आवेदक के पक्ष में किया गया है।

अतः श्री विजय अग्रवाल पुत्र स्व. श्री महेन्द्र कुमार अग्रवाल के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 3658 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 27.9.24

आवास संख्या 2-ए-3 कुन्हाड़ी कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री हरिमोहन मीणा पुत्र श्री कन्हैया लाल मीणा को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्री हरिमोहन मीणा पुत्र श्री कन्हैया लाल मीणा द्वारा दिनांक 08.09.2009 को अपने पक्ष में करवाया गया। पंजीयन उपरांत श्री हरिमोहन मीणा पुत्र श्री कन्हैया लाल मीणा द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 14.10.2009 को श्री शंकर लाल पुत्र श्री प्यार चन्द को किया गया। श्री शंकर लाल पुत्र श्री प्यार चन्द का नाम दिनांक 24.03.2011 को विक्रय पत्र के आधार पर मंडल अभिलेख में दर्ज किया गया। तत्पश्चात श्री शंकर लाल पुत्र श्री प्यार चन्द द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 30.03.2011 को श्री योगेन्द्र कुमार तिवारी पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद तिवारी को किया गया। श्री योगेन्द्र कुमार तिवारी पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद तिवारी का नाम दिनांक 22.01.2018 को विक्रय पत्र के आधार पर मंडल अभिलेख में दर्ज किया गया। तत्पश्चात श्री योगेन्द्र कुमार तिवारी पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद तिवारी द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 18.01.2024 को श्री नवीन मालव पुत्र श्री दुलीचंद मालव को किया गया। श्री नवीन मालव पुत्र श्री दुलीचंद मालव द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 2-ए-3 कुन्हाड़ी कोटा को विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मंडल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री नवीन मालव पुत्र श्री दुलीचंद मालव का नाम दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री नवीन मालव पुत्र श्री दुलीचंद मालव का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री नवीन मालव पुत्र श्री दुलीचंद मालव के नाम दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

रामगंजमंडी को जिला बनाने की मांग

कोटा, (निसं)। एक तरफ राज्य सरकार पूर्व सरकार के द्वारा बनाए गए नए जिलों को खत्म करने के लिए योजना बना रही है वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार के मंत्रियों को ही अपने क्षेत्र को जिला बनाने की मांग का सामना करना पड़ रहा है। कृषि उपज मंडी समिति, रामगंजमंडी मे आयोजित सरकार आपके द्वार समस्या समाधान शिविर मे रामगंजमंडी को जिला बनाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे लोगो का प्रतिनिधि मंडल मंत्री दिलावर से मिला। प्रतिनिधि मंडल मे शामिल लोग मदन दिलावर के पक्ष मे नारे लगाते हुए हाथों में बैनर लेकर पहुंचे। आंदोलनकारियों ने मंत्री से कहा की आप नवगठित जिला समीक्षा के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति के अध्यक्ष है। आप रामगंजमंडी को जिला बनवाए। मंत्री दिलावर ने कहा कि मुझे नए बने जिलों की समीक्षा के लिए समिति का अध्यक्ष बनाया गया है।

दशहरा मेले में इस बार हेमा मालिनी आएगी

कोटा, (निसं)। कोटा के 131वें राष्ट्रीय दशहरा मेले की तैयारियां जोरों पर चल रही है। इस बार मेले उद्घाटन मे मथुरा सांसद व बॉलीवुड अनिनेत्री ड्रीमगर्ल के नाम से मशहूर हेमा मालिनी आयेंगी। ये वो ही हेमा मालिनी हैं जो 1996 में कोटा दशहरा मेले में आने के लिए अग्रिम राशि तक ले चुकी थीं। उसके बाद भी मेले के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाईं थीं। इस मामले को 28 साल बीत चुके हैं। करीब 19 साल पहले ये मामला कोर्ट पहुंचा था। याचिका लगाने वाले पूर्व पार्षद व कांग्रेस नेता सुरेश गुर्जर ने हेमा मालिनी को न्यायालय में पेश करवाने की मांग रखी थी। दरसल साल 1996 में नगर निगम ने 2 लाख 56 हजार रुपए पर हेमा मालिनी से कोटा आने का करार किया था। उस समय कोटा की महापौर सुमन श्रृंगी थीं। दशहरे मेले में उन्हें बुलाने के लिए कुछ अग्रिम भुगतान भी कर दिया गया था। साथ ही प्रचार प्रसार सहित कुल मिलाकर कर 50 हजार रुपए तब नगर निगम ने खर्च किए थे लेकिन अंततः हेमा मालिनी कोटा नहीं आईं। बाद में यह मामला कोर्ट पहुंचा। मुकदमे में नगर निगम की तरफ से कहा गया कि पुलिस और प्रशासन से कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलने के चलते वो नहीं आ पाई थीं। ऐसे में उनकी और उनकी टीम के सदस्यों के आने और जाने के टिकट कंफर्म थे। यह सब रद्द करने पड़े थे। इसी के चलते पैसे की वसूली वापस नहीं हो पाई। दूसरी तरफ 1997 अनुमति नहीं मिलने के चलते नहीं आ पाई थीं। सुरेश गुर्जर ने कहा कि हेमा मालिनी से पिछला बकाया वसूलना चाहिए था। उन्होंने इसकी मांग भी की थी। .

नाम परिवर्तन

मैंने अपना पुराना नाम सरोज शेख से बदलकर नया नाम सरोज दयाल रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।

पता-सरोज दयाल पत्नी अब्दुल खालिद मकान-161 बजरंग नगर पुलिस लाईन कोटा

नाम परिवर्तन

मैंने अपना पुराना नाम मेहमुद अली अन्सारी से बदलकर नया नाम मेहमुद अली रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।

पता-मेहमुद अली पुत्र अहमद बक्श 1-बी-17 ई एस आई हास्पिटल के पीछे छत्रपुरा तालाब विज्ञान नगर कोटा

नाम परिवर्तन

मैं शबाना मदार पत्नी श्री मुस्ताक अली, मेरी पुत्री फातिमा जोहरा के समस्त दस्तावेजों में पिता का नाम फिरोज खान (FIROZ KHAN) के स्थान पर मुस्ताक अली (MUSTAKALI) किया जावे, निवासी मकान नं. 09 उदपुरा मोडक स्टेशन कमालपुरा खेराबाद जिला कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 3645 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 26.9.24

आवास संख्या 2-ग-21 केशवपुरा कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री सुरेश चन्द शर्मा पुत्र श्री प्रभूलाल शर्मा को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्री सुरेश चन्द शर्मा पुत्र श्री प्रभूलाल शर्मा के नाम दिनांक 15.03.1997 को अपने पक्ष में करवाया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री सुरेश चन्द शर्मा पुत्र श्री प्रभूलाल शर्मा की मृत्यु दिनांक 04.09.2022 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरांत इनके वारिसानों में श्री हेमेश शर्मा पुत्री स्व. श्री सुरेश चन्द शर्मा पत्नी श्री संजय कुमार शर्मा, श्रीमती किरण शर्मा पुत्री स्व. श्री सुरेश चन्द शर्मा पत्नी श्री करन शर्मा, श्रीमती कमलेश शर्मा पुत्री स्व. श्री सुरेश चन्द शर्मा पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्रीमती पूजा शर्मा पुत्री स्व. श्री सुरेश चन्द शर्मा पत्नी श्री छगन लाल शर्मा एवं शालिनी शर्मा पुत्री स्व. श्री सुरेश चन्द शर्मा द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाजित हिस्सों का त्याग जरिये रिलीज डीड (त्याग पत्र) आलेखित कर दिनांक 10.06.2024 को श्रीमती चन्द्र कांता शर्मा पत्नी स्व. श्री सुरेश चन्द शर्मा एवं श्री भूपेन्द्र शर्मा पुत्र स्व. श्री सुरेश चन्द शर्मा के पक्ष में संयुक्त रुप से किया गया। श्रीमती चन्द्र कांता शर्मा पत्नी स्व. श्री सुरेश चन्द शर्मा एवं श्री भूपेन्द्र शर्मा पुत्र स्व. श्री सुरेश चन्द शर्मा द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 2-ग-21 केशवपुरा कोटा का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र रिलीज डीड (त्याग पत्र) के आधार पर संयुक्त रुप से करने हेतु आवेदन किया गया।

अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं रिलीज डीड (त्याग पत्र) के आधार पर श्रीमती चन्द्र कांता शर्मा पत्नी स्व. श्री सुरेश चन्द शर्मा एवं श्री भूपेन्द्र शर्मा पुत्र स्व. श्री सुरेश चन्द शर्मा के नाम संयुक्त रुप से करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्रीमती चन्द्र कांता शर्मा पत्नी स्व. श्री सुरेश चन्द शर्मा एवं श्री भूपेन्द्र शर्मा पुत्र स्व. श्री सुरेश चन्द शर्मा के नाम संयुक्त रुप से करने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्रीमती चन्द्र कांता शर्मा पत्नी स्व. श्री सुरेश चन्द शर्मा एवं श्री भूपेन्द्र शर्मा पुत्र स्व. श्री सुरेश चन्द शर्मा के नाम संयुक्त रुप से कर दिया जावेगा। उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

प्रारुप-10 (नियम 6 (7) देखिए)

प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय नगरपालिका छबड़ा जिला बारां

क्रमांक: 6523 **लोक सूचना** दिनांक:-26.09.2024

श्री प्रेमसिंह सहरिया पुत्र कालूराम सहरिया जाति सहरिया निवासी छबड़ा ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है।

तहसील व जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्र
छबड़ा जिला बारां	आंचोली	362	1.6693

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय 7 दिवस के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा कर दिया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 26.09.2024 को जारी की गयी।

संदीप कुमार गहलोत प्राधिकृत अधिकारी/अधिशाषी अधिकारी
भु. रुपा. (ई.ओ.) नगरपालिका छबड़ा बारां

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 3645 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 26.9.24

आवास संख्या 2-ग-21 केशवपुरा कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री सुरेश चन्द शर्मा पुत्र श्री प्रभूलाल शर्मा को किया गया था। इस